संख्या- 116 / 66-05-7/2005

प्रेषकः

श्रीमती नीरा यादव
कृषि उत्पादन आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

1— मण्डलायुक्त, आजमगढ, वाराणसी तथा मीरजापुर मण्डल।
2— जिलाधिकारी, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र तथा मीरजापुर।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग   लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2005

विषय :— नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम्य विकास योजना के कियान्वयन हेतु मण्डलस्तरीय एवं जनपदस्तरीय उच्च अनुश्रवण समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 54/ 66—05—181/ ए0जी0वी0वी0/ 2003 दिनांक 10 जनवरी, 2005 द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के तीन मण्डलों—आजमगढ़, वाराणसी तथा मीरजापुर के 6 जनपदों—मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र तथा मीरजापुर के अन्तर्गत के अन्तर्गत नक्सल प्रभावित ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम्य विकास योजना लागू करने के निर्देश दिये गये है। नक्सल प्रभावित ग्रामों को योजनान्तर्गत 16 कार्यकमों से संतृप्त किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की कतिपय समस्याएं वन, गृह तथा राजस्व विभाग से भी सम्बन्धित हैं जिसके समाधान हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से निर्देश निर्गत किये जा रहे है।

अतः उपर्युक्त समग्र परिप्रेक्ष्य में इन क्षेत्रों में विकास कार्यों की कार्ययोजना के अनुसार त्वरित प्रगति बनाये रखने, सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की निरन्तर प्रभावी समीक्षा तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए कानून—व्यवस्था सहित समस्त पहलुओ पर अनुश्रवण हेतु मण्डल तथा जनपद स्तर पर निम्नानुसार उच्चस्तरीय अनुश्रवण समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है :—

मण्डलस्तरीय अनुश्रवण समिति

मण्डलस्तरीय अनुश्रवण समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा :—

1—	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2—	मण्डलान्तर्गत समस्त जिलाधिकारी	सदस्य
3—	मण्डलान्तर्गत समस्त मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4—	पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक	सदस्य
5—	अतिरिक्त निदेशक/ उप निदेशक, स्वास्थ्य	सदस्य
6—	मुख्य अभियन्ता/ समस्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7—	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक	सदस्य
8—	वन संरक्षक	सदस्य

..................................2

NEXT PAGE

पृष्ठांकन संख्या 116/66-2005 (1)/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन

3– प्रमुख सचिव, राजस्व, गृह तथा वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

4– प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

5– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश शासन

6– मुख्य विकास अधिकारी, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र तथा मीरजापुर

16/01/05

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव